मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र.8777 / 22 / वि–7 / एन.आर.ई.जी. / 2007 भोपाल, दि. 4 / 06 / 2007

प्रति,

1. **जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
   एवं कलेक्टर
   राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
2. **अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
   राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
3. **कार्यक्रम अधिकारी (जनपद पंचायत)**
   राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
   जिला – श्योपुर, छतरपुर, मंडला, शहडोल, बालाघाट, शिवपुरी, बैतूल, खरगोन, सिवनी, डिण्डोरी, टीकमगढ़, खण्डवा, धार, झाबुआ, बड़वानी, सतना, सीधी, उमरिया, गुना अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर, हरदा, छिन्दवाड़ा, देवास, दतिया, रीवा, पन्ना, दमोह, राजगढ़ एवं कटनी (म.प्र.)

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश के अंतर्गत वनस्पति विहीन पहाड़ियों/टीलों पर कंटूर ट्रेंच एवं गली प्लग/बोल्डर चेक के निर्माण तथा जलाऊ लकड़ी हेतु वृक्षारोपण एवं चारा उत्पादन के लिए "शैल–पर्ण" उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन के संबंध में।

1. पृष्ठ भूमि एवं उद्देश्य :–

1.1 वनस्पति विहीन पहाड़ियों तथा टीलों (Undulating Topography युक्त Terrain) पर बरसात के समय बहने वाला वर्षा जल क्षेत्र से बाहर निकलकर व्यर्थ हो जाता है और मार्ग में किसी अवरोध के अभाव तथा ढाल की त्रीवता के कारण इसका वेग भी अधिक होता है, जिससे मिट्टी का कटाव होता है। अतः यदि वनस्पति विहीन पहाड़ियों व टीलों पर कंटूर ट्रेंच बनाई जायें और पहाड़ियों से निकलने वाली गली (छोटी नालियों) पर गली प्लग/बोल्डर चेक बनाये जायें तो न केवल मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है, अपितु कंटूर ट्रेंच में पानी के इकट्ठा होने से मिट्टी में नमी संरक्षण और भूजल संवर्धन भी किया जा सकता है। मिट्टी व पानी का संरक्षण होने के उपरांत वनस्पति विहीन पहाड़ियों व टीलों को समुचित उपाय अपनाकर ऐसी वनस्पति से आच्छादित किया जा सकता है, जिससे स्थानीय ग्राम की जलाऊ लकड़ी और पशुओं हेतु चारे की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना –

मध्यप्रदेश के अंतर्गत यह कार्य "जल संरक्षण व संवर्धन" तथा "वृक्षारोपण" मद के अंतर्गत लिया जा सकता है।

1.2 उक्त के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश के अंतर्गत शामिल जिलों में आने वाले ऐसे ग्राम जिनके Terrain की टोपोग्राफी Undulating है, उन ग्रामों में संयुक्त रूप से "जल संरक्षण व संवर्धन" तथा "वृक्षारोपण" मद के अंतर्गत वनस्पति विहीन पहाड़ियों तथा टीलों पर कंटूर ट्रेंच के निर्माण और गली प्लग/बोल्डर चेक के निर्माण तथा वानस्पतिक आच्छादन (जलाऊ लकड़ी व चारा उत्पादन) के कार्य के लिए "शैल–पर्ण" उपयोजना लागू की जाना है, जिससे निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी :–

1. भूजल संवर्धन तथा मिट्टी में नमी संरक्षण
2. मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण
3. मिट्टी व पानी के संरक्षण के उपरांत वनस्पति विहीन पहाड़ियों व टीलों पर जलाऊ लकड़ी व चारा उत्पादन हेतु वनस्पति का विकास
4. निचले क्षेत्रों में बाढ़ के विरूद्ध सुरक्षा में बढ़ौतरी

2. कार्य क्षेत्र :–

2.1 "शैल–पर्ण" उपयोजना का कार्य क्षेत्र राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–मध्यप्रदेश में शामिल सभी जिले होंगे। "शैल–पर्ण" उपयोजना इन जिलों के ऐसे ग्रामों में लागू की जा सकेगी, जहां के Terrain की टोपोग्राफी Undulating है तथा इन ग्रामों में वनस्पति विहीन पहाड़ियां और टीले उपलब्ध हैं। "शैल–पर्ण" उपयोजना के कार्य राजस्व भूमि, वन भूमि एवं पंचायत/सामुदायिक भूमि पर लिये जायेंगे।

3. लिये जा सकने वाले कार्य

3.1 "शैल–पर्ण" उपयोजना के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य लिये जा सकेंगे :–

1. स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच (स्टैगर्ड कंटूर खंतियां)
2. गली प्लग/बोल्डर चेक
3. वानस्पतिक आच्छादन हेतु :–
   - पहाड़ी/टीले पर वृक्ष पुनरोत्पादन (Root Stock Regeneration)
   - नवीन वृक्षारोपण/घांस विकास करना (जलाऊ लकड़ी एवं चारा उत्पादन)
4. वानस्पतिक आच्छादन की सुरक्षा हेतु पहाड़ी/टीले की Barbed Wire फेंसिंग करना और तलहटी पर पशु अवरोधक खंती खोदना

4. **आयोजना :–**

4.1 ग्राम पंचायत द्वारा सर्वप्रथम अपने कार्य क्षेत्र के ग्रामों में वनस्पति विहीन पहाड़ियों और टीलों में से 50% पहाड़ियों/टीलों को शैल–पर्ण उपयोजना हेतु इस प्रकार चिन्हांकित किया जायेगा कि वे अपने आप में एक हाइड्रोलॉजिकल यूनिट हों। इन पहाड़ियों व टीलों पर "शैल–पर्ण" उपयोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की जायेगी :–

1. उपयंत्री द्वारा पहाड़ियों/टीलों का सर्वेक्षण कर (I) कंटूर ट्रेंच (II) गली प्लग/वोल्डर चेक (III) पशु अवरोधक खंती (IV) Barbed Wire फेंसिंग की डिजाईन व मात्रा का निर्धारण कर प्राक्कलन तैयार किया जायेगा।
2. उपयंत्री द्वारा वन विभाग/उद्यानिकी विभाग के विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर तथा अनुलग्नक – 1 में क्षेत्रवार दर्शाई गई प्रजातियों को संदर्भ में लेते हुए स्थानीय क्षेत्र की विशिष्टताओं के अनुरूप जलाऊ लकड़ी तथा चारा उत्पादन हेतु उचित प्रजातियों के वृक्षों का चयन किया जायेगा। जलाऊ लकड़ी तथा चारे के लिए पत्तों वाले ऐसे वृक्षों के रोपण को प्राथमिकता दी जाना चाहिए, जो कम गहराई की मिट्टी में बढ़ सकते हों। तदोपरांत उपयंत्री द्वारा चयनित प्रजातियों के पौधों के रोपण व रख रखाव हेतु चिन्हांकित पहाड़ी/टीले के क्षेत्रफल के आधार पर रोपित किये जा सकने वाले पौधों की संख्या का निर्धारण कर प्राक्कलन तैयार किया जायेगा। इस प्राक्कलन में "ग्राम वन" के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुरूप 7 वर्षों के घटकों व लागत का समावेश किया जायेगा।
3. चारा उत्पादन हेतु बीज बोकर भी घांस का उत्पादन भी किया जा सकता है। अतः यदि चारा उत्पादन हेतु घांस लगाई जानी है तो तद्नुसार इसकी मात्रा का निर्धारण कर घांस विकास का प्राक्कलन भी तैयार किया जायेगा। घांस विकास हेतु ऐसी प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाना चाहिए, जो स्थानीय क्षेत्र की विशिष्टताओं के अनुरूप बढ़ सकती हों तथा जिनसे अधिक से अधिक बायोमास प्राप्त हो सके और जिनमें पशुओं (विशेषकर दुधारू पशुओं) के भोजन के लिए पोषक तत्वों जैसे रफेज इत्यादि की मात्रा ज्यादा हो।
4. उक्त बिन्दु 1, 2 व 3 में उल्लेखित प्राक्कलनों को संकलित कर संबंधित ग्राम में "शैल–पर्ण" उपयोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट उपयंत्री द्वारा तैयार की जायेगी।

4.2 स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच व गली प्लग/बोल्डर चेक की डिजाईन निर्धारण के लिए ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण बिन्दु व मानकों का उल्लेख **अनुलग्नक – 2** में किया गया है।

4.3 "शैल–पर्ण" उपयोजना के तहत लिये जाने वाले कार्यों का प्राक्कलन जिले में लागू ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सीएसआर अनुसार इकाई लागत के आधार पर तैयार किया जायेगा।

4.4 "शैल–पर्ण" उपयोजना के कार्यों की उपयंत्री द्वारा तैयार की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट ग्राम पंचायत को प्रेषित की जायेगी। ग्राम पंचायत अपनी बैठक आयोजित कर शैल–पर्ण उपयोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अनुमोदित करेगी। तत्पश्चात ग्राम पंचायतवार शैल–पर्ण उपयोजना के तहत प्रस्तावित प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अनुमोदन जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत से कराया जावेगा। जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत का अनुमोदन अनिवार्य होगा। त्रिस्तरीय पंचायत से अनुमोदन के उपरांत शैल–पर्ण उपयोजना के तहत प्रस्तावित प्रोजेक्ट रिपोर्ट को शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जायेगा।

5. कार्य की स्वीकृतियां :–

5.1 शैल–पर्ण उपयोजना के तहत प्रस्तावित प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल कार्यों की एकजाई प्रशासकीय व एकजाई तकनीकी स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना– मध्यप्रदेश के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप जारी की जायेगी। तात्पर्य यह है कि "शैल–पर्ण" उपयोजना के तहत पैरा – 3.1 में उल्लेखित अनुसार कार्यों की पृथक पृथक प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति नहीं जारी की जायेगी, अपितु सभी कार्यों को समाहित करते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट की एकजाई स्वीकृति प्रदत्त की जायेगी।

6. क्रियान्वयन व गुणवत्ता :–

6.1 शैल–पर्ण उपयोजना के तहत प्रस्तावित और उपरोक्तानुसार अनुमोदित व प्रशासकीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल कार्यों के क्रियान्वयन/निर्माण हेतु ग्राम पंचायत को योजना मद से आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जा जायेगी। ऐसे ग्राम जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना– मध्यप्रदेश के तहत वाटरशेड

परियोजना के लिए चयनित किये गये हैं, उनमें यदि "शैल–पर्ण" उपयोजना के तहत कार्यों का क्रियान्वयन किया जाना है/किया जा रहा है तो भी वाटरशेड विकास कार्यों के लिए प्रति हेक्टेयर उपचार हेतु निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उपलब्ध कराई जाने वाली राशि में कोई कटौती नहीं की जायेगी। परन्तु इस हेतु यह सुनिश्चित करना होगा कि वाटरशेड परियोजना की कार्य योजना में "शैल–पर्ण" उपयोजना के तहत प्रस्तावित/किये जा रहे कार्यों का दोहराव (Duplication) न हो।

6.2 "शैल–पर्ण" उपयोजना के कार्यों के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत स्वतः क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर सकती है। यदि ग्राम पंचायत चाहे तो इन कार्यों का क्रियान्वयन निम्नानुसार अन्य को क्रियान्वयन एजेंसी बनाकर करा सकती है :–

6.2.1 गैर वन पड़त भूमि के विकास व उपयोग के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्र क्र.1873–एफ–4–7/96/सात/2ए दिनांक 4.10.2006 द्वारा नई नीति (अनुलग्नक – 4) निर्धारित की गई है। इस नीति की कंडिका 3.2.4 में भूमिहीन व्यक्तियों के स्वसहायता समूहों को भी गैर वन पड़त भूमि के वंटन का प्रावधान किया गया है। इस नीति की कंडिका 1.1 के अनुरूप ऐसे पहड़ी/टीले जो गैर वन पड़त भूमि की श्रेणी में आते हैं, उनका वंटन नीति के प्रावधानों के अनुरूप स्वसहायता समूहों को किया जाकर, "शैल–पर्ण" उपयोजना के कार्यों का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षण में इन समूहों से क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कराया जा सकता है।

6.2.2 छोटे बड़े झाड़ के जगलों के प्रबंधन में स्वसहायता समूहों को संबद्ध किये जाने के संबंध में राजस्व विभाग, वन विभाग एवं ग्रामीण दिकास विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्र क्र. 8604/वि–6/22/2003 दिनांक 31.7.2003 में प्रावधान (अनुलग्नक – 5) किये गये हैं। इन प्रावधानों के अनुरूप ऐसी पहाड़ी/टीले जो छोटे बड़े झाड़ के जंगल की भूमि में वर्गीकृत हैं, उनपर "शैल–पर्ण" उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वयन एजेंसी तथा लाभों के विदोहन हेतु स्वसहायता समूहों को संबद्ध किया जा सकता है।

6.2.3 ऐसी पहाड़ी/टीले जो वन भूमि के रूप में वर्गीकृत हैं, उनपर "शैल–पर्ण" उपयोजना के कार्यों का क्रियान्वयन संयुक्त वन प्रबंधन संबंधी शासन निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप संयुक्त वन प्रबंध समितियों से ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षण में क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कराया जा सकता है।

6.3 ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि कार्य का क्रियान्वयन निर्धारित डिजाईन तथा मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण किया जाये और तकनीकी रूप से गुणवत्तापूर्ण हो। कार्य की गुणवत्ता के संदर्भ में किसी भी स्थिति में कोई समझौता न किया जाये। अधूरे कार्य को किसी भी स्थिति में पूर्ण मानकर समाप्त न किया जाये।

6.4 शैल–पर्ण उपयोजना के तहत कार्यों के निर्माण हेतु आवश्यक तकनीकी सहयोग उपयंत्री अथवा कृषि विभाग/वन विभाग के तकनीकी अमले द्वारा प्रदान किया जायेगा। स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच तथा गली प्लग/बोल्डर चेक के निर्माण के समय ध्यान रखे जाने वाले महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख **अनुलग्नक – 2** में किया गया है।

6.5 कंटूर ट्रेंच के निर्माण के पूर्व पहाड़ी/टीले पर कंटूर रेखा का चिन्हांकन अवश्य किया जायेगा। इस हेतु ए–फ्रेम का उपयोग किया जा सकता है, जिसका विवरण **अनुलग्नक–3** में दिया गया है।

6.6 वृक्षारोपण हेतु श्रेष्ठ एवं उत्तम गुणवत्ता की पौध तथा घांस विकास हेतु श्रेष्ठ अंकुरण वाले बीज उपलब्ध कराने का दायित्व ग्राम पंचायत का होगा। इस हेतु ग्राम पंचायत शासकीय विभाग अथवा शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/उपक्रम से इन विभाग/संस्थाओं द्वारा निर्धारित दर पर पौध व बीज का क्रय कर सकेंगी।

6.7 शैल–पर्ण उपयोजना के तहत संपादित होने वाले कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन, कार्य की माप, मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा संधारण तथा अन्य अभिलेखों के संधारण के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–मध्यप्रदेश के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधान यथावत लागू होंगे।

6.8 विभाग के आदेश क्र.3665/22/वि–7/ग्रा.यां.से./06 दिनांक 22.6.2006 में ग्रामीण विकास विभाग के तहत किये जाने वाले निर्माण कार्यों का Exit Protocol तैयार किये

जाने बाबत् दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुरूप शैल–पर्ण उपयोजना के तहत संपादित किये जाने वाले कार्यों का Exit Protocol अनिवार्यतः संधारित किया जाये।

7. **निर्मित कार्यों के रख रखाव का दायित्व :–**

7.1 ग्राम पंचायत के क्रियान्वयन एजेंसी होने पर निर्मित कार्यों तथा वृक्षारोपण/घांस विकास के रख रखाव का दायित्व ग्राम पंचायत का होगा। पैरा – 6.2.1 से 6.2.3 में उल्लेखित अनुसार स्वसहायता समूहों/संयुक्त वन प्रबंध समितियों को क्रियान्वयन एजेंसी बनाये जाने पर निर्मित कार्यों तथा वृक्षारोपण/घांस विकास के रख रखाव का दायित्व इन संस्थाओं का होगा।

8. **मॉनिटरिंग व रिपोर्टिंग :–**

8.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा शैल–पर्ण उपयोजना के कम से कम से 10% कार्यों की समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण आयोजना व क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जायेगी।

8.2 परियोजना अधिकारी (तकनीकी) द्वारा सभी विकासखण्डों में प्रत्येक तिमाही में कम से कम 1 बार किये जाने वाले भ्रमण के दौरान शैल–पर्ण उपयोजना के भी 5% कार्यों का परीक्षण अनिवार्यतः किया जायेगा।

8.3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने क्षेत्राधीन ग्राम पंचायतों में शैल–पर्ण उपयोजना के 100% कार्यों की समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण आयोजना तथा क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करायेंगे। वे स्वयं भी शैल–पर्ण उपयोजना के कार्यों की मॉनिटरिंग करेंगे।

8.4 सहायक विकास विस्तार अधिकारी तथा ग्राम सहायक 15 दिवस में कम से कम एक बार किये जाने वाले भ्रमण के दौरान उन्हें आवंटित ग्राम पंचायतों में शैल–पर्ण उपयोजना के कार्यों के अनुमोदन, प्रशासकीय स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति तथा क्रियान्वयन की शत–प्रतिशत मॉनिटरिंग अनिवार्यतः करेंगे।

8.5 क्वालिटी मॉनिटर द्वारा शैल–पर्ण उपयोजना के कार्यों की मॉनिटरिंग विशेषकर तकनीकी पहलुओं के संदर्भ में की जायेगी।

8.6 उपरोक्तानुसार विभिन्न स्तरों पर की गई मॉनिटरिंग के निष्कर्षों के अभिलेख संबंधित स्तर पर अनिवार्यतः संधारित किये जायेंगे।

8.7 शैल–पर्ण उपयोजना के कार्यों की प्रगति की जानकारी **अनुलग्नक – 6** में दर्शाये गये प्रपत्र में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित की जायेगी।

कृपया शैल–पर्ण उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन हेतु समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

हस्ता/–
(प्रदीप मार्गव)
अपर मुख्य सचिव
एवं विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
म.प्र.भोपाल

अनुलग्नक – 1

सामाजिक वानिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा अनुशंसित जलाऊ लकड़ी व चारा उत्पादन की प्रजातियां

श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़

स0क0	मिट्टी का प्रकार	जलाऊ लकड़ी की प्रजातियां	पशुओं हेतु चारे की प्रजातियां
1	2	3	5
1	ऊसर भूमि	सुबबूल, वबूल, बेर, नीम, करंज, निलगिरी, विलायती बबूल	सुबबूल, स्टायलो, बबूल, अगस्त, घास–हेज, लुसन
2	कंकड़, नोडयुक्त भूमि	नीम	सुबबूल, शेवरी, घास–सैन
3	बीहड़ क्षेत्र की भूमि	बबूल, अकेशिया, टॉटालीस, सिस्सू, खैर	स्टायलो, घास– पीला अंजन, सैन
4	चट्टानों के ऊपर की उथली भूमि (1–2 फुट गहरी)	खैर, विलायती बबूल, रऊँझा, वेर, अंकेशिया, टाटीलीस, लेंडियाँ	स्टायलो, घास– सैन, छोटीमारवेल
5	मुरम मिट्टी	सिसू, केसिया, आकाशमोनो, धावड़ा, काला सिरस, नीम, नीलगिरी	स्टायलो, सुबबूल, घास–दीनानाथ, पीला अंजन, सैन
धार, देवास, राजगढ़ एवं झाबुआ			
1	लाल मिट्टी गहरी मुरूम जमीन	आकाशमोनो, नीलगिरी, नीम, कालासिरस, केसिया, सयामिया, सिस्सू, संदेसरा, कस्टार, सुबबूल	सबबूल, शेवरी, अगस्त, स्टायलो, घास– पीला, अंजन, सैन, दीनानाथ
2	उथली मुरूमी जमीन	आकाशमोनी, विलायती बबूल, सिस्सू, संदेसरा, नीलगिरी, केसिया, खैर	स्टायलो, मुनगा घास– पीला, अंजन, सैन
3	सख्त मुरूमी पथरीली जमीन	विलायती बबूल, रेउंझा, वेर, खैर	घास– सैन

स0क0	मिट्टी का प्रकार	जलाऊ लकड़ी की प्रजातियां	पशुओं हेतु चारे की प्रजातियां
सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, दमोह, पन्ना, छतरपुर			
1	लालमिट्टी, गहरी मुरूम मिट्टी	आकाशमोनो, खमेर, धावड़ा, नीलगिरी, नीम, कालासिरस, सफेदसिरस, सुबबूल, सिस्सू	सुबबूल, शेवरी, अगस्त, स्टायलो, घास– दीनानाथ सेन, घास–मुशन
2	उथली मुरूम मिट्टी	आकाशमोनो, विलायती बबूल, नीलगिरी, सिस्सू, खैर	स्टायलो, मुगना, घास– पीला, अंजन, सेन
3	सख्त मुरूमी पथरीली मिट्टी	विलायतीबबूल, खैर, रेउंआ, वेर	घास– सेन, पीला, अंजन
मंडला, सिवनी, छिन्दवाड़ा, हरदा, बैतूल, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, डिण्डोरी			
1	मुरूमीली जमीन (उथली)	आकाशमोनों, विलायती बबूल, सिस्सू, नीलगिरी, खैर	स्टायलो घास– पीला अंजन, सेन
2	सख्त मुरूम पथरीली भूमि	विलायतीबबूल, खेर, बेर, रेऊजा	घास– सेन
बालाघाट			
1	सख्त मुरूमी एवं गहरी मिट्टी	गरारी, नीलगिरी, आकाशमोनो, सिस्सू, यूकेलिप्टस, नीम	सुबबूल, स्टायलो, घास– सेन, पोनिया

कंटूर ट्रेंच की डिजाईन के निर्धारण व निर्माण के संबंध में महत्वपूर्ण बिन्दु व मानक

कंटूर ट्रेंच सामान्यतः मिट्टी खोदकर आयताकार अथवा वर्गाकार आकार की बनाई गई ऐसी खंतियां हैं, जो ढाल के लंबवत दिशा में कंटूर रेखा पर निर्मित की जाती हैं। ट्रेंच से खोदकर निकाली गई मिट्टी इसके डाउन स्ट्रीम की तरफ पर बंधान के रूप में एकत्र कर दी जाती है, जिस पर घांस लगाई जा सकती है अथवा वृक्षारोपण किया जा सकता है। ट्रेंच की अनुप्रस्थ काट चित्र–1 में दर्शाई गई है।

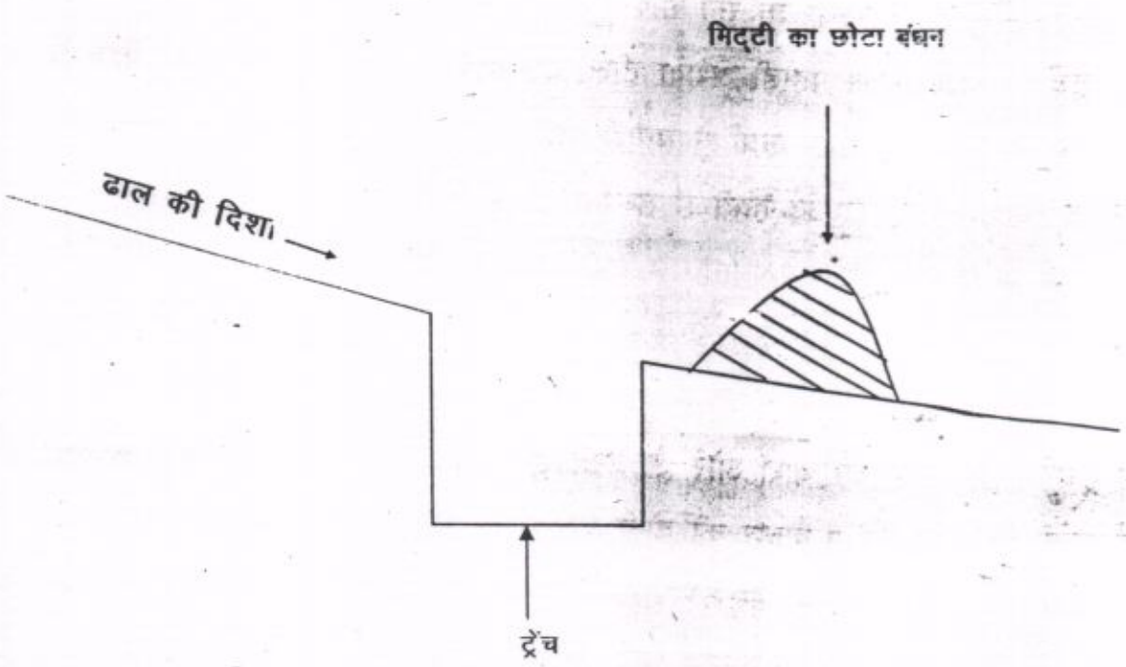

चित्र–1 : ट्रेंच का अनुप्रस्थ काट

ट्रेंच के लाभ :–

1. श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का एक कारगर विकल्प
2. ट्रेंच में वर्षा का जल इकट्ठा होने पर इसे जमीन के नीचे रिसने का अवसर मिलता है, जिसके फलस्वरूप आसपास की जमीन में नमी में वृद्धि होती है तथा भूजल संवर्धन के कारण निचले क्षेत्रों मे कुओं और नलकूपों में भूजल के स्तर में भी वृद्धि होती है।

3. ट्रेंच बनाये जाने पर भूमि के ढलान की लंबाई छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाती है, जिससे वर्षा जल के प्रवाह का वेग कम होता है और मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण भी होता है।

4. ऐसी पहाड़ियां व टीले जिन पर ट्रेंच खोदी गई हैं, उनमें यदि सुरक्षा बागड़ लगाकर जानवरों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाये तो Root Stock Regeneration के कारण वानस्पतिक पुनरोउत्पादन में सहायता प्राप्त होती है।

5. ट्रेंच से खोदकर निकाली गई मिट्टी अथवा अन्य उपयुक्त जगह पर बीज डालकर पशुओं के चारे हेतु घांस उत्पादन अथवा बीज/पौध द्वारा जलाऊ लकड़ी की प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया जा सकता है।

6. ट्रेंच बनाने के कारण पहाड़ी अथवा टीले से बहकर आने वाले वर्षा जल के प्रवाह का वेग कम होने से निचले क्षेत्रों में बनाई गई जल संरक्षण व संवर्धन संचनाओं की बाढ़ के विरूद्ध सुरक्षा में वृद्धि होती है तथा खेतों में पानी भरने तथा मिट्टी के कटाव की समस्या भी कम होती है।

<u>कंटूर ट्रेंच के प्रकार</u> :–

कंटूर ट्रेंच पहाड़ी/टीले को चारों ओर से घरते हुए ढाल के लंबवत चिन्हित कंटूर रेखा पर बनाई जाती है। कंटूर ट्रेंच 2 प्रकार की होती हैं :–

1. कान्टीन्यूस कंटूर ट्रेंच – कंटूर रेखा पर लगातार बनायी जाने वाली ट्रेंच
2. स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच – कंटूर रेखा पर टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त कर बनायी जाने वाली ट्रेंच

कान्टीन्यूस कंटूर ट्रेंच का निर्माण कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है तथा इसके निर्माण के लिए लेआउट बहुत सावधानी से देना पड़ता है। इस प्रकार की ट्रेंच का लेआउट यदि कंटूर रेखा पर नहीं होता है तो ऐसी ट्रेंच ढाल की दिशा में होने के कारण नाली के रूप में काम करने लगती है, जिससे इसका वर्षा जल के बहाव को रोकने का उद्देश्य निष्फल हो जाता है।

अतः कान्टीन्यूस कंटूर ट्रेंच की अपेक्षा स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच बनाना (चित्र–2) व्यवहारिक व श्रेयस्कर माना गया है। इस परिप्रेक्ष्य में "शैल–पर्ण" उपयोजना के अंतर्गत चिन्हित पहाड़ियों व टीलों पर स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया जाना है।

चित्र–2: स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच

डिजाईन मानक :–

सामान्यतः स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच के निर्माण के लिए डिजाईन निर्धारण हेतु निम्नानुसार मानक अपनाये जा सकते हैं :–

1. प्रत्येक ट्रेंच की लंबाई X चौड़ाई X गहराई = 3 मीटर X 0.60 मीटर X 0.60 मीटर
2. ट्रेंच की एक लाईन (कंटूर रेखा) की ट्रेंच की दूसरी लाईन (कंटूर रेखा) से दूरी :–
   - कम वर्षा वाले (600 – 800 मिलीमीटर) – 8 से 10 मीटर
   - अधिक वर्षा वाले (800 – 1200 मिलीमीटर) – 3 से 5 मीटर
3. एक ही लाईन में एक ट्रेंच की दूसरी ट्रेंच से दूरी – 3 से 5 मीटर
4. ट्रेंचों की संख्या का निर्धारण पहाड़ी/टीला जिस पर इनका निर्माण किया जाना है, उसके संपूर्ण कैचमेंट में उपलब्ध होने वाले वर्षा जल की मात्रा (2 दिनों में होने वाली अधिकतम वर्षा) को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। सिद्धांत यह अपनाया जाता है कि खोदी जाने वाली ट्रेंचों का खोदा गया कुल आयतन 2 दिनों में होने वाली अधिकतम वर्षा के पानी के उपलब्ध होने वाले आयतन को अपने में समा सकें। उदाहरण के तौर पर पहाड़ी/टीला जिस पर ट्रेंच का निर्माण किया जाना है, का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर है तथा इस क्षेत्र में 2 दिन में होने सकने वाली अधिकतम वर्षा 100 मिली मीटर (0.1 मीटर) है तो इस पहाड़ी/टीले के कैचमेंट में 2 दिनों की अवधि में अधिकतम 1000 घनमीटर वर्षा जल उपलब्ध हो सकेगा। यदि हम बनायी जाने वाली स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच की डिजाईन का मानक 3 मीटर X 0.60 मीटर X 0.60

मीटर (1 कंटूर ट्रेंच का आयतन – 1.08 घनमीटर) अपनाये तो 1000 घनमीटर वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए लगभग 926 स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच का निर्माण करना होगा।

5. यदि पहाड़ी/टीले पर मिट्टी की गहराई कम है तो संभव है कि बिन्दु 2 में उल्लेखित मानक के अनुरूप गहराई की ट्रेंच खोदने में कठिनाई हो। ऐसी स्थिति में अपेक्षाकृत कम गहराई (0.30 मीटर से कम नहीं) की ट्रेंच की डिजाईन कर बिन्दु 3 में उल्लेखित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ट्रेंचों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

6. यदि पहाड़ी/टीले पर मिट्टी की गहराई ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में अपेक्षाकृत अधिक गहराई (0.60 मीटर से अधिक) की ट्रेंच की डिजाईन कर बिन्दु 3 में उल्लेखित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ट्रेंचों की संख्या कम भी की जा सकती है।

7. ढाल की तीव्रता अधिक होने पर ट्रेंच की संख्या अधिक तथा ढाल तीव्रता कम होने पर ट्रेंचों की संख्या कम की जा सकती है।

<u>निर्माण</u> :–

1. स्टैगर्ड ट्रेंच की डिजाईन निर्धारित करने के साथ साथ यह भी निर्धारित हो जायेगा कि कंटूर ट्रेंचों की दो लाईनों के बीच में कितनी दूरी रखना है अर्थात दो कंटूर रेखाओं के बीच में कितनी दूरी रखना है। इस दूरी के निर्धारण के पश्चात स्टैगर्ड ट्रेंच के निर्माण के पूर्व सर्वप्रथम पहाड़ी/टीले की जमीन पर निर्धारित दूरी पर कंटूर रेखाओं का ठीक ठीक चिन्हांकन करना होगा। कंटूर रेखा वास्तव में भूमि की सतह पर एक ही तल (स्तर) अर्थात लेवल पर स्थित विभिन्न बिन्दुओं को जोड़ने वाली कल्पित रेखा होती है। दूसरे शब्दों में हम समान ऊंचाई के स्तर पर स्थित रेखा को कंटूर रेखा कह सकते हैं।

2. कंटूर रेखा का चिन्हांकन "ए–फ्रेम" की सहायता से किया जा सकता है। ए–फ्रेम के निर्माण और इसका उपयोग कर कंटूर रेखाओं (समोच्य रेखाओं) को चिन्हित करने की विधि अनुलग्नक – 3 में दर्शाई गई है। चिन्हित कंटूर रेखाओं का चूने से जमीन पर लेआउट दिया जाना चाहिए।

3. कंटूर रेखा का निर्धारण व चिन्हांकन होने पर इस रेखा पर निर्धारित डिजाईन के अनुसार स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच का निर्माण मिट्टी खोदकर किया जायेगा।

4. स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच के निर्माण हेतु जब एक लाईन के पश्चात दूसरी लाईन में ट्रेंच बनाई जायें तो ये ट्रेंच पूर्व की लाईन की हर दो ट्रेंच के बीच में खोदी जानी चाहिए, ताकि ऊपर की लाईन की दो ट्रेंच की बीच की खाली जगह से बहकर आने वाला पानी इनमें समा सके, जैसा कि चित्र – 3 में दिखाया गया है।

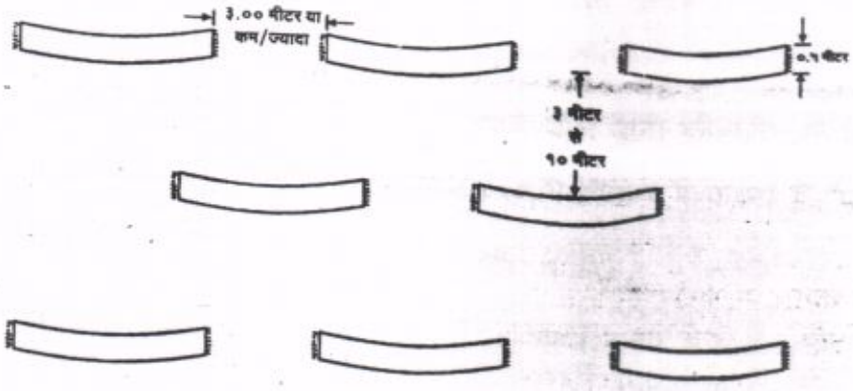

चित्र–3 : स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच

5. कंटूर ट्रेंच खोदकर निकाली गई मिट्टी इसके डाउन स्ट्रीम साइड में चित्र– 1 में दर्शाये गये बंधान बनाकर एकत्र की जायेगी।

6. उपरोक्तानुसार मिट्टी के बंधान पर स्थानीय परिस्थिति व जलवायु के अनुरूप उपयुक्त प्रजाति के बीच डालकर पशुओं के चारे हेतु घांस उत्पादन किया जा सकता है अथवा उपयुक्त प्रजाति की जलाऊ लकड़ी के वृक्षों का बीज/पौध द्वारा रोपण किया जा सकता है। मध्यप्रदेश की जलवायु के अनुरूप जिलेवार उपयुक्त प्रजातियों का विवरण अनुलग्नक – 1 पर दिया गया है।

7. कंटूर ट्रेंच के निर्माण के पश्चात पहाड़ी/टीले की Barbed Wire से फेंसिंग की जायेगी तथा तलहटी में पशु अवरोध खंती खोदी जायेगी।

गली प्लग/बोल्डर चेक की डिजाईन के निर्धारण व निर्माण के संबंध में महत्वपूर्ण बिन्दु व मानक

पहाड़ी क्षेत्रों से निकलने वाली छोटी–छोटी नालियों/नालों पर बनाये गये पत्थरों के अस्थाई बाँध को गली प्लग/बोल्डर चेक कहते हैं। ये बोल्डर चेक उन नालियों/नालों पर बनाये जाते है जिनकी गहराई 3 मीटर से कम है और जलग्रहण क्षेत्र 100 हेक्टेयर से कम हैं। बोल्डर चेक बनाने का मुख्य उद्देश्य नालियों/नाले में बहने वाले पानी की गति को कम कर मिट्टी का कटाव रोकना तथा नाले के बहाव की विध्वंसक शक्ति को कम करना है। पानी की गति कम करने से निम्न उद्देश्य पूरे किये जा सकते हैं :–

- भूमि कटाव में कमी।
- बहती मिट्टी को रोकना जिससे नीचे के तालाबों / बाँधों में गाद (सिल्ट) भरने की गति में कमी आये।

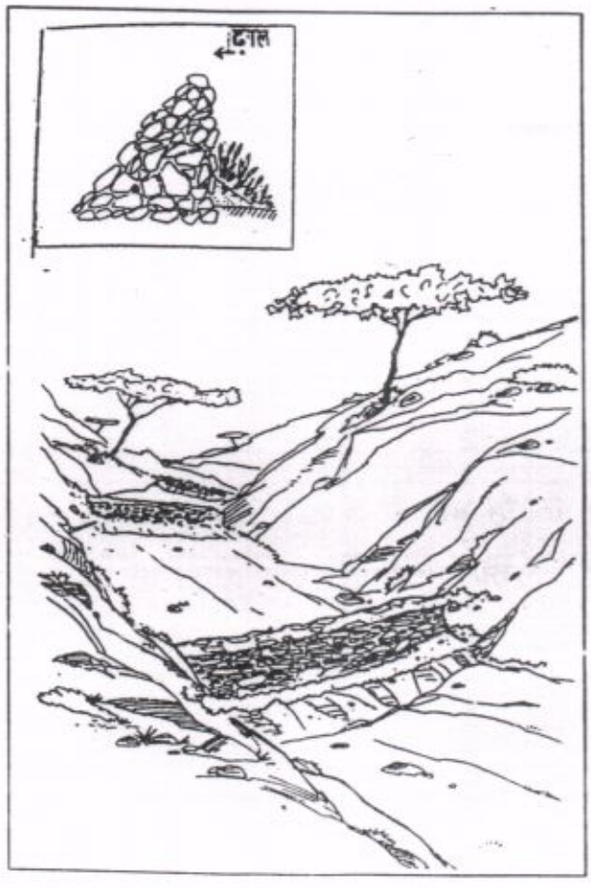

निर्माण स्थल :–

पत्थरों के ये छोटे–छोटे बोल्डर चेक एक के बाद एक ऐसी श्रृंखला के रूप में बनायें जिससे कि, पहाड़ी क्षेत्रों की नालियों/नाले का जलग्रहण क्षेत्र छोटे–छोटे टुकड़ों में बंट जाये:–

- किसी भी बोल्डर चेक का अपना जलग्रहण क्षेत्र 1–2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिये।
- जहाँ नाले के तल की ढलान 20 प्रतिशत से अधिक हो, वहाँ बोल्डर चेक न बनायें।
- बोल्डर चेक वहीं बनायें, जहाँ पत्थर आसानी से उपलब्ध हो।

बोल्डर चेक के बीच परस्पर दूरी :–

दो बोल्डर चेक के बीच कम से कम खड़ा अन्तराल (वर्टीकल इंटरवल) बोल्डर चेक की ऊँचाई के बराबर होना चाहिये, ताकि उससे रोका गया पानी ऊपर वाले चेक के तल तक पहुँचे। इससे कम अंतराल रखने से बोल्डर चेक की क्षमता का पूर्ण उपयोग न हो पायेगा। खड़ा अंतराल तय करने पर दो चेक के बीच सीधा अंतराल (हॉरिझाँटल) नाले के तल की ढलान पर निर्भर करता है। उदाहरणतः 5 प्रतिशत ढाल तक वाले नाले में खड़ा अंतराल 01 मीटर रखने पर सीधा अंतराल 20 मीटर होगा और 10 प्रतिशत ढाल वाली नाली पर 10 मीटर होगा। किन्तु इस नियम को सोच समझ कर अपनायें। अतः बोल्डर चेक के बीच परस्पर दूरी की अधिकतम व न्यूनतम सीमायें तय करने के लिए निम्न सुझाव उपयुक्त होगा :

- ऊँची ढाल वाली नालियों/नालों में बोल्डर चेक पास–पास बनायें किन्तु 15 मीटर की दूरी से कम नहीं।
- जैसे–जैसे ढाल बढ़े वैसी दूरी बढ़ायें किन्तु 60 मीटर से अधिक नहीं।

निर्माण की अवधारणा :–

नाले के ऊपरी हिस्से से शुरूआत करें। सबसे ऊपर वाले चेक का स्थल निर्धारित करें। 05 मीटर नीचे तक चलें। इस जगह को हम पहले चेक की नीचे की सीमा मान सकते हैं। इस जगह से 15 मीटर नीचे तक नाले की ढलान नापें। जैसा पहले ही तय किया किया गया है, दो चेक की परस्पर दूरी कम से कम 15 मीटर होनी चाहिये। यदि ढलान 10 प्रतिशत या उससे अधिक है तो दो चेक के बीच सीधा अंतराल 10 मीटर रखें। यदि ढलान 10 प्रतिशत से कम है तो सीधे अन्तराल को बढ़ा दें। यदि ढलान 5 प्रतिशत है तो दूरी 30 मीटर रखें। यदि ढलान 2 प्रतिशत है तो दूरी 60 मीटर रखें। लेकिन ढलान 2 प्रतिशत से कम हो तो भी दूरी को 60 मीटर से ज्यादा न बढ़ायें, जो हमारे द्वारा तय किया गया अधिकतम अंतराल है। इस तरह पूरी नाली में चेक बनाने के स्थल सिलसिले वार निश्चित कर लें।

वर्षों के अनुभव के बाद आमतौर पर यह तय किया गया है कि बोल्डर चेक के बीच के हिस्से की अधिकतम ऊँचाई 01 मीटर रखी जाये। ऊपर की चौड़ाई सामान्यतः 40 से.मी. रखें। चूँकि पत्थरों का विश्राम का कोण अधिक होता है अतः ऊपर (अपस्ट्रीम) की ढलान 1 : 1 रखें। पीछे की ढलान (डाउन स्ट्रीम) को नाले के पानी के प्रवाह की गति अनुसार कम (1 : 2 से 1 : 4)

रखें। जितना अधिक प्रवाह और जितनी अधिक उसकी गति, बोल्डर चेक की उतनी ही कम ढलान तय करें।

संरचना की सुरक्षा के लिये यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अधिक से अधिक पानी बोल्डर चेक के मध्य हिस्से के ऊपर से गुजरे। जितना अधिक पानी नाले के किनारों के सम्पर्क में आयेगा उतना ही अधिक भूमि कटाव का खतरा बना रहेगा। इसलिये चेक के मध्यम हिस्से को नीचा और दोनों किनारों की तरफ चेक को ऊँचा बनाना जरूरी है। लेकिन चेक के किनारों की ऊँचाई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये। यदि, अगर नाले के किनारे ही 1.5 मीटर से कम ऊँचें हों तो चेक के किनारों की ऊँचाई नाली के किनारों की ऊँचाई जितनी ही रखें।

चेक को कम से कम 100 से.मी. अथवा उसकी लम्बाई का कुल 1/3 हिस्सा (इसमें से जो भी अधिक हो), दोनों किनारों में (प्रत्येक किनारे पर 50 से.मी. अथवा लम्बाई का 1/6 हिस्सा, इसमें से जो भी अधिक हो) गाड़ दें जिससे कि, जुड़ाई के हिस्से में भूमि कटाव न हो।

यदि नाले का तल पत्थरों का हो तो कोई खास नींव देने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा 30 से.मी. गहरी नींव खोदें।

बड़े पत्थरों को चेक के नीचे (डाउन स्ट्रीम) की बाहरी सतह पर 25 से.मी. खोदकर जमायें। छोटे पत्थरों को चेक के अन्दरूनी हिस्से में जमायें। 15 से.मी. व्यास से छोटे या एक किलोग्राम से कम वजन वाले पत्थरों का उपयोग न करें। कोणीय पत्थरों को बैठाने में गोल पत्थरों से अधिक सुविधा होती है।

कच्चे पत्थरों का उपयोग हरगिज न करें चूंकि वह पानी से सम्पर्क होने पर घुल जाते हैं।

बोल्डर चेक बनाते समय – क्या करें, और क्या नहीं करें

- चेक की ऊँचाई मध्य भाग में कम और किनारों पर ज्यादा रखें।
- मध्य भाग की ऊँचाई तल से अधिकतम 1 मीटर रखें।
- किनारों की ऊँचाई तल से अधिकतम 1.5 मीटर रखें।
- ऊपर की ढलान 1 : 1 (अपस्ट्रीम)
- नीचे को ढलान 1 : 2 से 1 : 4 (डाउनस्ट्रीम)
- तली में चट्टान न मिलने की स्थिति में 30 से.मी. तक नींव खोदें।

- चेक को नालों के दोनों किनारों में 50 से.मी. अथवा उसकी लम्बाई के 1/6 (इसमें से जो भी अधिक हो) तक गाड़ें।
- बड़े पत्थरों को नीचे (डाउन स्ट्रीम) की ओर बाहरी सतह पर जमायें।
- छोटे पत्थरों को अन्दरूनी हिस्सें में जमायें।
- कोणीय पत्थरों का उपयोग करें।
- 20 प्रतिशत से अधिक ढाल वाले नालों पर बोल्डर चेक न बनायें।
- अस्थिर व नीचे किनारे वाले नालों पर बोल्डर चेक न बनायें।
- जहाँ पत्थर आसानी से उपलब्ध न हों वहाँ बोल्डर चेक न बनायें।
- कभी भी जमीन में गड़े हुए पत्थरों को खोदकर बोल्डर चेक न बनायें। इससे भूमि कटाव और बढ़ेगा।
- 15 से.मी. से कम व्यास तथा 1 कि.ग्रा. से कम वजन के पत्थरों का उपयोग न करें।

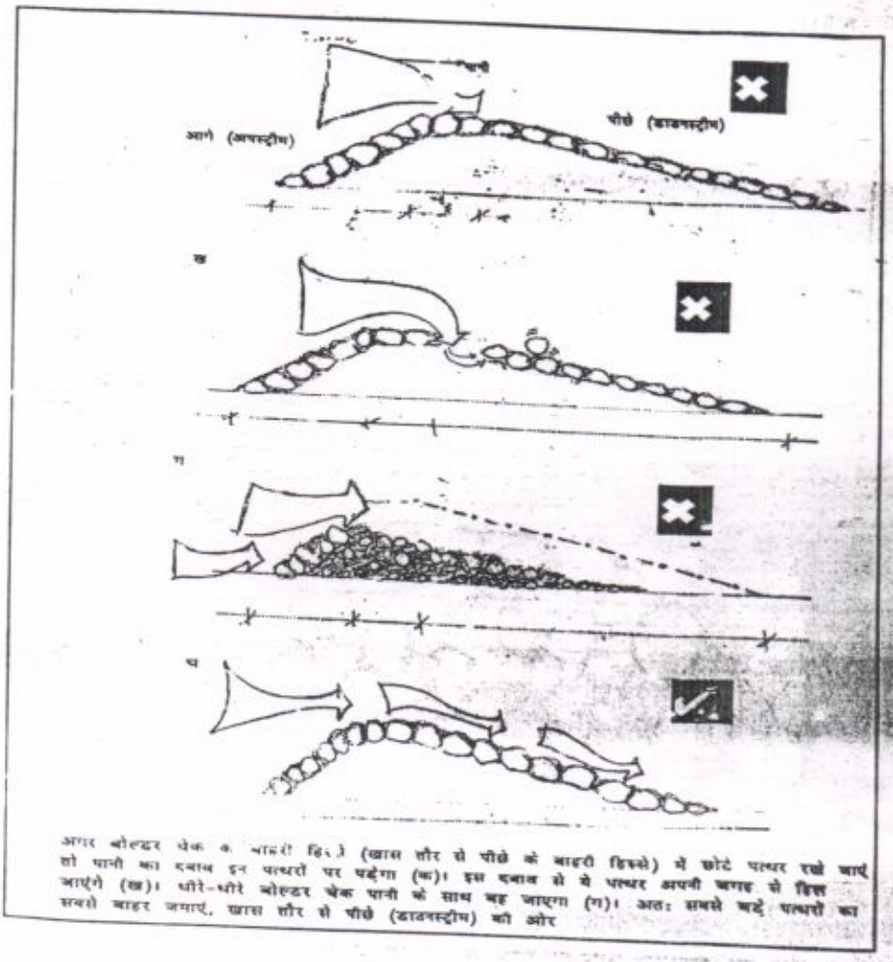

अगर बोल्डर चेक के बाहरी हिस्से (खास तौर से पीछे के बाहरी हिस्से) में छोटे पत्थर रखे जाएं तो पानी का दबाव इन पत्थरों पर पड़ेगा (क)। इस दबाव से ये पत्थर अपनी जगह से हिल जाएंगे (ख)। धीरे-धीरे बोल्डर चेक पानी के साथ बह जाएगा (ग)। अतः सबसे बड़े पत्थरों का सबसे बाहर जमाएं, खास तौर से पीछे (डाउनस्ट्रीम) की ओर

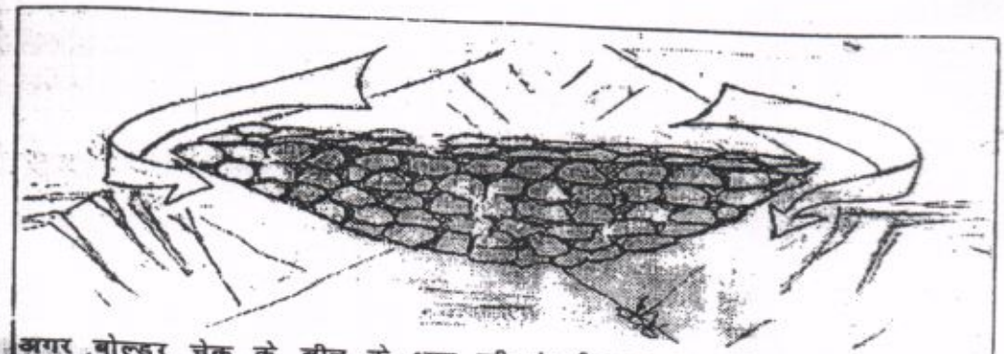

अगर बोल्डर चेक के बीच के भाग की उंचाई कम न रखी जाए और उसके दोनो छोरों को नाली के किनारों में न गाड़ा जाए, तो पानी दोनों किनारों को काट देगा

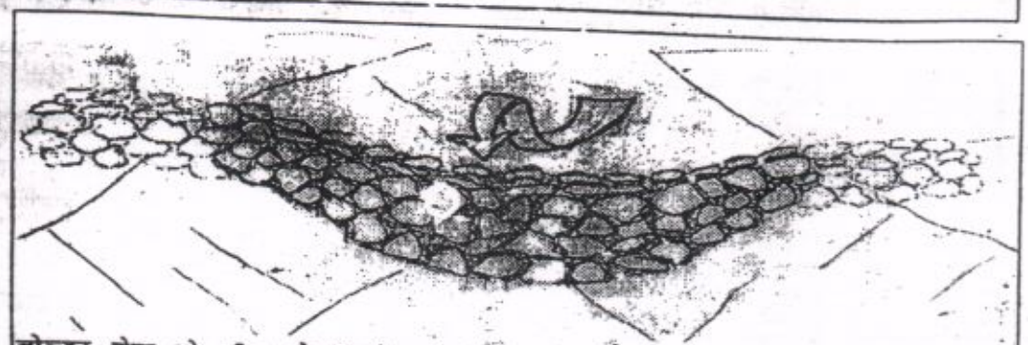

बोल्डर चेक के बीच के हिस्से को नीचा रखें और उसे दोनो ओर नाली के किनारों में गाड़ दें। तब पानी बीच के भाग के उपर से गुज़र जाएगा। न नाली के किनारे पानी से कटेंगे और न ही बोल्डर चेक के टूटने का खतरा होगा

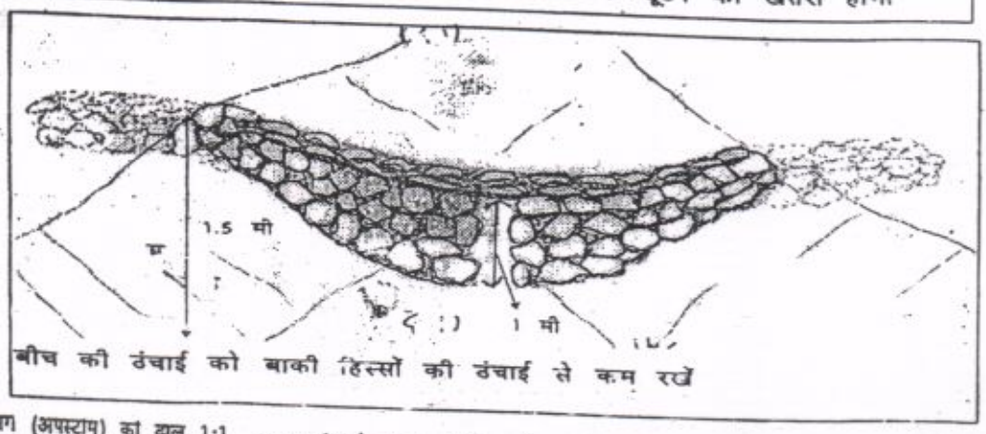

बीच की उंचाई को बाकी हिस्सों की उंचाई से कम रखें

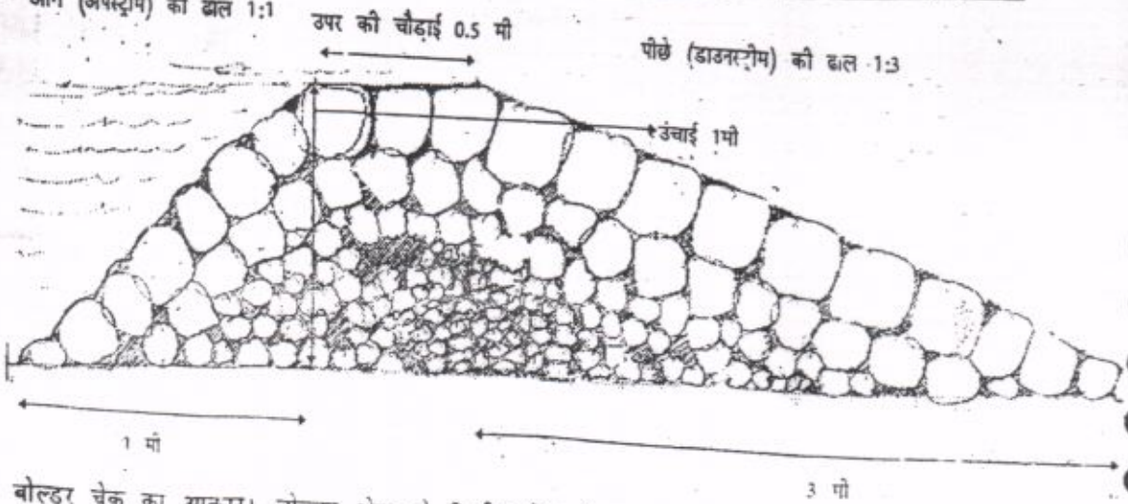

बोल्डर चेक का आकार। बोल्डर चेक के निर्माण में बड़े पत्थरों को सबसे बाहर जमाया जाता है और छोटे पत्थरों को अन्दर। बाहर की तरफ सबसे बड़े पत्थर पीछे (डाउनस्ट्रीम) की ओर लगाए जाते है

अनुलग्नक - 3

कार्य : 'ए' फ्रेम बनाना

सामग्री :

बांस की खपच्चियाँ, तार, चाकू, स्केल, धागा, पत्थर का टुकड़ा, पेन ।

अवस्था	मुख्य बिन्दु

1. लगभग 2.5 मी0 लंबाई की तीन बांस की खपच्चियां प्राप्त करें । दो खपच्चियों को स्केल से नाप कर 2.1 मी0 तथा एक खपच्ची पर 1.2 मी0 नाप कर निशान लगायें ।

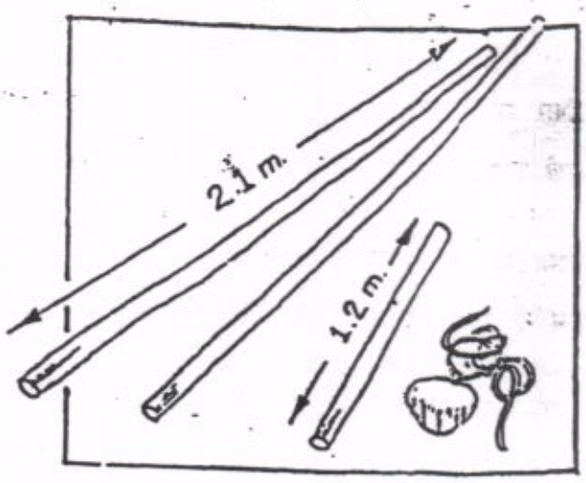

2. निशान लगाये स्थान पर तीनों खपच्चियों को काट लें ।

3. दो बड़े खपच्चियों को किनारे से 10 से.मी. छोड़कर चाकू से खांचा बना लें। खांचा के कारण खपच्चियाँ बांधने के बाद नहीं खिसकेगी ।

4. दोनों खपच्चियां के खांचों को मिलाकर तार से बांध डालें । ये दोनों खपच्चियाँ 'ए' फ्रेम के पैरो का कार्य करेंगी ।

5. दोनों पैरों को समतल सतह पर रखकर फैलायें, स्केल से दोनों पैरों के किनारे से 1 मी0 नापकर निशान लगायें ।

6. दोनों पैरों के निशान लगे स्थानों पर

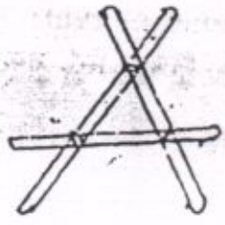

समोच्य रेखाओं को चिन्हांकित करना

1. इस कार्य के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। एक व्यक्ति ए फ्रेम से समान ऊँचाई के बिन्दुओं को ढूंढेगा तथा दूसरा व्यक्ति उन बिन्दुओं पर खुंटे लगाने का कार्य करेगा । इस कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व आसपास की घास व झाड़ियाँ अगर देखने में अड़चन पहुँचाती है तो उसे काट डालें ताकि आप समोच्य रेखा पर आसानी से चल फिर सकें ।
2. याद रखें हमेशा कार्य पहाड़ी के उपरी सिरे के तरफ से प्रारंभ करना चाहिए । सबसे पहलो खूटी उपचार क्षेत्र के सीमा पर लगायें तथा ए फ्रेम का बांया पैर उसके ठीक बगल में रखें ।
3. ए फ्रेम के दायें पैर को तब तक ऊपर या नीचे की ओर ले जाये जब तक पत्थर से बंधा धागा आड़ी भुजा के मध्य बिन्दु को स्पर्श नहीं करता है । इस अवस्था को प्राप्त करने का अर्थ यह है कि ए फ्रेम की दोनों भुजाएं समान ऊँचाई के बिन्दुओं पर स्थित है और इन्ही बिन्दुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्य रेखा कहते है ।अब उस बिन्दु को भी चिन्हांकित कर ले जहाँ ए फ्रेम के दायी भुजा का निचला सिरा स्थित है ।
4. अब ए फ्रेम की दांयी तरफ ले जायें तथा इसकी बायी भुजा का निचला सिरा पूर्व में रखे दाये भुजा के निचले सिरे के स्थान पर रखें जिसे आपने चिन्हांकित कर लिया है । पुनः ए फ्रेम के दाये भुजा को ऊपर व नीचे की तरफ तब तक ले जाये जब तक पत्थर से बंधा धागा आड़ी भुजा के मध्य सिरे को स्पर्श नहीं करता है । ए फ्रेम के दाये भुजा के निचले सिरे को चिन्हांकित कर खुटी लगा दें । इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहें जब तक उसे क्षेत्र के दूसरी तरफ के सीमा तक नही पहुंच जाते है । इस तरह खुँटियों को मिलाने वाली रेखा समोच्य रेखा होगी।
5. उपरोक्त प्रक्रिया (3 एवं 4) को नियत समोच्य अंतराल (Specified contour interval) पर तब तक दुहराये जब तक ढलान के निचले सिरे तक नही पहुँच जाते है।
6. सामान्यतः समोच्य रेखायें सामान्य वक्र रेखा की तरह होता है परन्तु कई बार कुछ खुँटियाँ सामान्य वक्र रेखा पर नहीं होती है । ऐसी अवस्था में कुछ बिन्दुओं को छोड़कर समोच्य रेखा के सामान्य वक्र रेखा की तरह बना कर पुनः चिन्हांकित करें ।

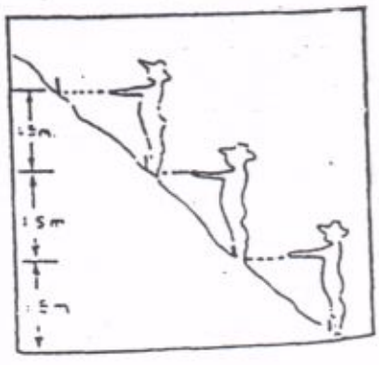

छोटी खपच्ची के तार को बांध डालें । छोटी खपच्ची, लंबी खपच्चियों को अपने स्थान पर रखती है तथा जमीन की समतलीकरण में मदद करती है ।

7. पत्थर के छोटे टुकड़े को लंबे धागे से अच्छी तरह बांध लें तथा धागे के दूसरे छोर को ए फ्रेम के शीर्ष पर इस प्रकार से बांधें कि धागा आसानी से झूल सके। बांधने के बाद धागे की लंबाई कम से कम 1 मी0 होनी चाहिए । पत्थर इतना भारी होना चाहिए कि सामान्य वायु वेग उसे झूला नहीं पाये।

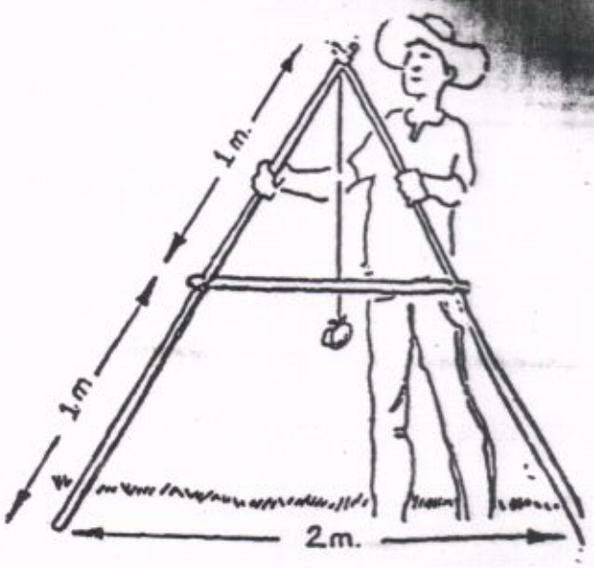

8. ए फ्रेम को समतल सतह पर सीधा खड़ा रखें एवं दोनों पैरों के पास सतह पर चिन्ह लगायें पत्थर लटकता धागा जहाँ छोटी खपच्ची को छूता है वहाँ भी चिन्हांकित करें।

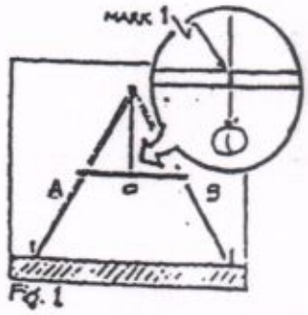

Fig. 1

9. पैरों के स्थान को बदल डालें । जिस स्थान पर पहला पैर रखा गया था वहां दूसरा पैर रखें । पत्थर से लटकता धागा छोटी खपच्ची को किस जगह छूता है ध्यान से देखें यदि दोनों अवस्था में धागा एक ही चिन्ह छूता है तो ए फ्रेम का मध्य बिन्दु सही निर्धारित किया गया है ।

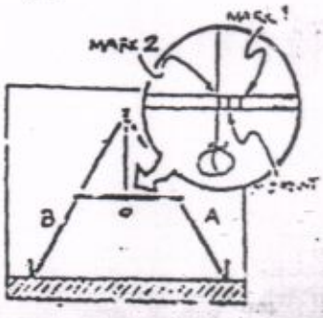

10. यदि दूसरी अवस्था में धागा पहले चिन्ह से अलग जगह छूता है तो उस जगह को चिन्हांकित कर लें तथा दो चिन्हांकनों के बीच का स्थान स्केल से नाप कर मध्य बिन्दु निकाल लें। मध्य बिन्दु को चिन्हांकित कर लें । आपका ए फ्रेम तैयार है ।

अनुलग्नक-4

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 1873-एफ-4-7/96/सात/2 ए

भोपाल, दिनांक 4-10-2006

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त,
   मध्यप्रदेश.
2. प्रबंध संचालक,
   म. प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम,
   भोपाल.
3. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश.

विषय.—गैर वन पड़त भूमि के विकास एवं उपयोग के संबंध में राज्य की नीति.

राज्य शासन द्वारा गैर वन पड़त भूमि के विकास एवं उपयोग के संबंध में नीति निर्धारित की गई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न आपकी ओर प्रेषित है. आपसे अपेक्षा है कि इस नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा नीति में अन्तर्निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाए.

(एल.एन.सोनी)
उप सचिव
म. प्र. शासन, राजस्व विभाग.

पृ. क्रमांक -एफ-4-7/96/सात/2 ए

भोपाल, दिनांक 4-10-2006

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को ओर दो प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/वन विभाग/कृषि विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग.
4. सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी.
5. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.
6. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.
7. मुख्य सचिव के स्टॉफ ऑफीसर, मंत्रालय, भोपाल.
8. समस्त मान. मंत्री/राज्यमंत्री के निजी सचिव.

उप सचिव
म. प्र. शासन, राजस्व विभाग

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग

गैर वन पड़त भूमि का विकास एवं उपयोग राज्य की नीति

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2006

मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

मंत्रालय, भोपाल

गैर वन पड़त भूमि के विकास एवं उपयोग के संबंध में राज्य की नीति

प्रस्तावना :

मध्यप्रदेश में बड़े क्षेत्रों में ऐसी भूमि उपलब्ध है जो राजस्व भूमि है तथा ग्रामों एवं नगरों के निवासियों के सामान्य लोकोपयोग से भिन्न होकर वन भूमि से भी पृथक् है. ऐसी उपलब्ध गैर-वन पड़त भूमि को उपयोग बनाने, वनीकरण पौधारोपण एवं तत्संबंधी प्रसंस्करण हेतु निजी कम्पनियों, पंजीकृत समितियों, संस्थाओं आदि को उपलब्ध कराने के लिए एवं समाज के भूमिहीन गरीब एवं कमजोर वर्ग की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें ऐसी भूमि में से कृषि योग्य परिवर्तनीय भूमि सुलभ कराने,के लिए राज्य शासन द्वारा यह नीति निर्धारित की गई है.

1. भूमि की पहचान एवं वर्गीकरण :

1.1 गैर वन पड़त भूमि की परिभाषा निम्नानुसार होगी:—

"गैर वन पड़त भूमि ग्राम की वह भूमि है, जो वनभूमि से पृथक् है और जिसमें राजस्व की ऐसी भूमि सम्मिलित नहीं है, जो निस्तार छोटे/बड़े झाड़ का जंगल, कृषि खातों की भूमि और आबादी के लिए राजस्व अभिलेख में दर्ज है और उपयोग में आ रही है".

1.2 प्रत्येक जिले में गैर वन पड़त भूमि की पहचान करने के लिए निम्नानुसार जिला-स्तरीय समिति गठित की जायेगी:—

(1) जिला कलेक्टर	—	अध्यक्ष
(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	—	सदस्य
(3) वन मंडलाधिकारी (सामाजिक वानिकी/सामान्य)	—	सदस्य
(4) उप संचालक, उद्यानिकी	—	सदस्य
(5) अधीक्षक, भू-अभिलेख	—	सदस्य
(6) जिला प्रबंधक, म. प्र. कृषि उद्योग विकास निगम	—	सदस्य
(7) कलेक्टर द्वारा नामांकित एक अधिकारी	—	सदस्य
(8) उप संचालक, कृषि	—	सदस्य-सचिव.

1.3 उक्त समिति जिले में उपलब्ध गैर वन पड़त भूमि की पहचान कर इसकी जानकारी एकत्र करेगी, जिसमें भूमि के विवरण एवं स्थल की विस्तृत जानकारी के साथ नक्शा भी शामिल होगा.

1.4 जिले में उपलब्ध संपूर्ण गैर वन पड़त भूमि का दो भागों में हिसाब रखा जाएगा—ऐसी पहली सूची में वे भूमियां जिन्हें कृषि योग्य बनाया जाना संभव नहीं है और दूसरी वे जिन्हें विकसित कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है. तत्पश्चात् प्रत्येक श्रेणी में निवेश के लिए उपयुक्त भूमिखण्डों की जिलेवार उपलब्धता का आंकलन किया जायेगा.

1.5 इस प्रकार संकलित जानकारी जिला-स्तरीय समिति जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध करायेगी. इसे संभागीय आयुक्त एवं राज्य शासन को भी प्रेषित किया जायेगा और नोडल एजेन्सी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा.

2. भूमि आवंटन प्रस्ताव एवं वनीकरण हेतु नोडल एजेन्सी

2.1 मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम गैर वन पड़त भूमि [illegible] परियोजनाओं के परीक्षण हेतु नोडल एजेन्सी के [illegible] में कार्य करेगा.

2.2 नोडल एजेन्सी, जिला-स्तरीय समिति एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जिले में भूमि बैंक के लिये डाटा बेस [illegible] करेगी. डाटा बेस में जिले की गैर वन पड़त भूमि के अंतर्गत उपलब्ध [illegible] जानकारी रखी जायेगी और वनीकरण/पौधारोपण आदि के लिये भूमि की उपलब्धता एवं उपयोगिता का विवरण दिया जायेगा.

3. भूमि का आवंटन :

3.1 निजी निवेश हेतु भूमि :

3.1.1 निवेश हेतु भूमि आवंटन के लिए आवेदन किसी भी व्यक्ति/पंजीकृत संस्था/कम्पनी द्वारा किया जा सकेगा. यह आवेदन संबंधित जिला कलेक्टर स्तर पर प्रस्तुत किया जावेगा.

3.1.2 चिन्हित एवं वर्गीकृत की गई भूमियों के आवंटन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

जिला स्तर पर निवेश हेतु 50 हेक्टेयर तक भूमि के आवंटन के लिए अधिकारिता निम्नलिखित समिति को होगी :—

(1) जिला प्रभारी मंत्री	—	अध्यक्ष
(2) जिला कलेक्टर	—	सदस्य
(3) वन मंडलाधिकारी (सामाजिक वानिकी/सामान्य)	—	सदस्य
(4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	—	सदस्य
(5) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	—	सदस्य
(6) जिला प्रबंधक, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम	—	सदस्य
(7) उप/सहायक संचालक, उद्यानिकी	—	सदस्य
(8) उप संचालक, कृषि	—	सदस्य-सचिव.

3.1.3 50 हेक्टेयर से अधिक भूमि के निजी निवेश के लिए आवंटन राज्य शासन द्वारा किया जायेगा.

3.1.4 50 हेक्टेयर से अधिक भूमि के मामले भी संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत किये जायेंगे, जो नोडल ऐजेंसी के परीक्षण-अनुशंसा टीप के साथ राज्यस्तर पर गठित प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड को प्रेषित करेगा, तत्पश्चात् बोर्ड उन पर विचार करेगा.

3.1.5 (क) जिला स्तर पर आवंटन प्रकरण संबंधित कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया जाएगा तथा प्रस्तुत किया जायेगा.

(ख) राज्यस्तर पर गठित प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड से भूमि-आवंटन की अनुशंसा प्राप्त होने पर शासन (राजस्व विभाग) द्वारा आवेदक को भूमि का आवंटन विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जावेगा.

(ग) जिला समिति या, यथास्थिति, राज्यस्तर पर गठित प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड द्वारा प्रकरण को अस्वीकृत [illegible]

3.2 कृषि परिवर्तनीय भूमि :

3.2.1 कृषि योग्य परिवर्तनीय भूमि (द्वितीय श्रेणी) का वंटन जिसमें 2 मीटर तक गहरे बीहड़ भी सम्मिलित है, प्रति परिवार अधिकतम 2 हेक्टेयर की सीमा में किया जायेगा.

3.2.2 भूमि का वंटन सक्षम अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय भूमि आवंटन समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जावेगा.

3.2.3 इस हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार, क्रमांक-3 की कंडिका-1(झ) में परिभाषित "आवंटन-अधिकारी" सक्षम अधिकारी होगा.

3.2.4 वंटन हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा :—

(1) खेतिहर मजदूर.

(2) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन व्यक्ति.

(3) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी.

(4) शिक्षित बेरोजगार युवा.

(5) भूतपूर्व सैनिक.

(6) भूमिहीन व्यक्तियों के स्वसहायता समूह (प्रति भूमिहीन सदस्य को अधिकतम 2.00 हेक्टेयर के मान से अधिकतम 50 हक्टेयर तक).

(7) अन्य.

3.2.5 "भूमिहीन व्यक्ति" से यहां तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य में कम से कम 12 वर्ष से निवास कर रहा हो तथा जिसके स्वयं के पास अपने कुटुम्ब के साथ संयुक्त रूप से कोई भूमि न हो. कुटुम्ब में केवल पति, पत्नी, अवस्यक पुत्र/अवयस्क पुत्री सम्मिलित होंगे.

3.3 लायसेंस एवं पट्टों के प्रारूप :

लायसेंस एवं पट्टे ऐसे प्रारूपों में दिए जाएंगे जैसे राज्य सरकार निर्धारित करें.

4. वार्षिक भू-भाटक :

4.1 उपर्युक्त कंडिका-3.2.4 में उल्लेखित व्यक्तियों को भूमि का आवंटन निःशुल्क किया जायेगा.

4.2 आवेदक/निवेशकर्ता को प्रथमतः 2 वर्षों के लिये निर्धारित शर्तों पर भूमि निःशुल्क लाइसेंस पर दी जायेगी. निवेशकर्ता द्वारा निर्धारित समस्त कार्य समयावधि में पूर्ण करने पर ही भूमि 30 वर्ष की लीज पर आवंटित की जायेगी. भूमि का भू-भाटक निम्नानुसार देय होगा :—

अवधि	राशि
प्रथम 5 वर्ष तक	रुपये 500/- प्रति हेक्टेयर
5 से 10 वर्ष तक	रुपये 1000/- प्रति हेक्टेयर
10 से 30 वर्ष तक	रुपये 1500/- प्रति हेक्टेयर

4.3 भू-भाटक की राशि का 50 प्रतिशत अंश संबंधित ग्राम पंचायत की पंचायत निधि में, 20 प्रतिशत अंश संबंधित एजेन्सी के खाते में तथा 30 प्रतिशत अंश सरकारी खजाने में जमा किया जायेगा.

5. लीज की अवधि :

निजी पूंजी निवेश हेतु गैर वन पड़त भूमि निवेशकर्ता आवेदक को 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर दी जायेगी. 30 वर्ष की अवधि के अवसान पर राज्य शासन की अनुमति से पट्टा नवीनीकृत किया जा सकेगा.

6. आवंटन की शर्तें :

राजस्व पुस्तक परिपत्र या अन्य शासकीय निर्देशों में उल्लेखित सामान्य शर्तों के अतिरिक्त गैर वन पड़त भूमि के निवेश हेतु आवंटन संबंधी पट्टों में निम्नलिखित विशेष शर्तें रखी जायेंगी:—

(क) आवेदक आवंटित की जाने वाली भूमि के विकास की परियोजना तैयार कर भूमि वंटन के आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा.

(ख) प्रस्तुत परियोजना में यह स्पष्ट अंकित होगा कि प्रथम दो वर्षों में कौन-कौन से विकास कार्य भूमि पर किये जायेंगे. समिति दो वर्षों में अपेक्षित कार्यों का स्पष्ट अनुमोदन करेगी तथा इन कार्यों का उल्लेख लायसेंस में किया जावेगा. प्रथम दो वर्षों में लाइसेंस पर निःशुल्क दी गई भूमि पर निर्धारित कार्य समयावधि में पूर्ण होने पर ही भूमि 30 वर्ष की लीज पर आगे आवंटित करने पर विचार किया जायेगा.

(ग) अगर पहले दो वर्ष में आवेदक/संस्था द्वारा उस प्रयोजन में भूमि उपयोग किया जाना नहीं पाया गया, जिस प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित है, तो लाइसेंस निरस्त कर संबंधित भूमि राजस्व अभिलेखों में वापिस शासकीय दर्ज की जायेगी और ऐसी भूमि का कब्जा वापिस लिया जायेगा.

(घ) आवेदक, आवंटित भूमि पर किसी प्रकार के खनिज का उत्खनन नहीं करेगा.

(ङ) आवंटित भूमि का हस्तांतरण राज्य शासन की पूर्व अनुमति से किया जा सकेगा.

(च) उद्देश्य से हटकर यदि भूमि का उपयोग किया जाता है, तो समुचित सुनवाई उपरांत पट्टा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर, भूमि राजस्व अभिलेखों में शासकीय दर्ज कर उसका कब्जा वापिस लिया जाएगा.

(छ) आवंटित भूमि पर केवल प्रासंगिक प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने की अनुमति होगी.

(ज) स्थानीय निस्तार अधिकारों का समुचित संरक्षण करने के उपरांत ही पट्टा जारी किया जायेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो जावे कि भूमि आवंटन पश्चात् निवेशकर्ता एवं निस्तार की स्थानीय आवश्यकताओं में टकराव न हो.

7. आवंटन के लिए प्रतिबंध :

7.1 आवंटित की जाने वाली भूमि, नगर निगम की बाह्य सीमा से 10 किलोमीटर, नगरपालिका/नगर पंचायत की बाह्य सीमा से किलोमीटर की परिधि में नहीं होगा.

7.2 यदि भूमि एक साथ उपलब्ध न हो तो उपलब्धता के आधार पर पृथक-पृथक स्थित एक से अधिक भूखंड भी आवंटित किए जा सकेंगे

8. मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम,1960 से छूट आदि :

8.1 मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 की धारा-3 (एच) के अधीन जारी की गई अधिसूचना दिनांक 2 दिसम्बर, 1994 के अन्तर्गत राज्य की गैर वन पड़त भूमि विनिवास योजना के लिए इस नीति के अधीन आवंटित भूमि उक्त अधिनियम के उपबंधों से विमुक्त होगी.

8.2 निवेशकर्ता को लीज पर दी गई गैर वन पड़त भूमि, राज्य शासन द्वारा निर्धारित शर्तों पर बंधक रखने की अनुमति होगी. इस हेतु राज्य शासन पृथक से शर्तें निर्धारित कर सकेगा.

9. निरसन :

प्रदेश में गैर वन पड़त भूमि के लिये पूर्व में निर्धारित नीति (मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग का परिपत्र क्रमांक-एफ 4-7/96/सात-2 ए, दिनांक 11-6-2002) एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-4, क्रमांक 3 'अ' में उल्लेखित बीहड़ भूमि के बंटन संबंधी निर्देश एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं.

10. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक-622/चार/व-5/06, दिनांक 4-10-2006 द्वारा प्रदत्त सहमति से जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ0 पुखराज मारू)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मध्य प्रदेश शासन
ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

अनुलग्नक-5

क्रमांक 9,604 / वि-६/२२/२००३

भोपाल, दिनांक 3/०७.२००३

प्रति,

१. समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश

२. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत मध्य प्रदेश ।

३. समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
मध्य प्रदेश ।

४. समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)
मध्य प्रदेश ।

विषय:– छोटे बड़े झाड़ के जंगलो का प्रबंध ग्राम सभा /स्व सहायता समूह द्वारा किये जाने संबंधी दिशा–निर्देश ।

—०—

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि छोटे–बड़े झाड़ के जंगल की भूमि पर वनीकरण की योजना के माध्यम से वनों के विकास के साथ–साथ अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिहीन परिवारो को इस भूमि से उत्पादित होने वाली वनोपज के अधिकार प्रदत्त किये जाये । राज्य शासन द्वारा लिए गये निर्णय के कियान्वयन हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश दिये जाते है ।

उद्देश्य :–

मध्य प्रदेश मे ३३ जिलो में छोटे–बड़े झाड़ के जंगल का कुल क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखो के अनुसार १० लाख हेक्टेयर है । वर्तमान में इस बड़े भू–भाग के प्रबंधन हेतु कोई प्रबंध योजना प्रचलित नही है । छोटे–बड़े झाड़ के जंगल की यह भूमि गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसको सघन वनीकरण के माध्यम से उपयोगी बनाया जाकर गरीबी उन्मूलन का माध्यम बनाया जाय ।

छोटे–बड़े झाड़ के जंगल के आस–पास बसे गांव में अधिकाशत: गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य जातियो के निर्धन परिवार निवास करते है । इन क्षेत्रो के वनीकरण की प्रकिया में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगो को भागीदार बनाकर स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकते है, जिससे प्रदेश में गरीबी उन्मूलन के साथ–साथ छोटे–बड़े झाड़ के बिगडे वन क्षेत्रों की उत्पादकता मे वृद्धि होगी और प्रदेश के वन आवरण में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी ।

छोटे–बड़े झाड़ के जंगलों का वर्गीकरण :–

छोटे–बड़े झाड़ के जंगलों को वन घनत्व के दृष्टिकोण से निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है :–

प्रकार :–

(क) अच्छे वनक्षेत्र (वन घनत्व ०.४ से अधिक)।

(ख) अल्प संकुलित बिगड़े वन जहां पर ठूठों का घनत्व अधिक है (वन घनत्व ०.४ से कम)।

(ग) ऐसे वन क्षेत्र जहां पर वन नहीं है (वन घनत्व ०.०)परन्तु मृदा अच्छी तथा गहरी है एवं पानी स्त्रोत पास में है ।

(घ) ऐसे वन क्षेत्र जो वृक्ष विहीन, पथरीले एवं चट्टानी है (वनीकरण के लिए अनुपयुक्त चारागाह विकास हेतु उपयुक्त)।

छोटे–बड़े झाड़ के जंगल के वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तावित उपचार :–

"क" प्रकार के क्षेत्रों के लिए जहां पर घनत्व ०.४ से अधिक एवं जंगल अच्छे है वहां पर प्रबंध योजना तैयार की जाएगी । प्रबंध योजना ग्राम सभा के अनुरोध पर वर्किंग प्लान ऑफिसर द्वारा तैयार कराई जाएगी । इसमें

सामाजिक आर्थिक तथा पर्यावरणीय भूमिका का ध्यान रखा जाएगा । प्रबंध योजना में निम्नलिखित विषय विनिर्दिष्ट किये जायेंगे :—

(क) इमारती लकड़ी के अतिरिक्त उत्पादन को तथा / या अन्य उत्पादों को सुनिश्चित करना ।

(ख) प्राकृतिक उत्पादन को संरक्षित करना और /या उपयुक्त प्रजातियों का रोपण करना ।

(ग) परिपक्व, अधिक परिपक्व, सूखे तथा रोगग्रस्त वृक्षों को चिन्हित कर काटकर गिराना तथा आंधी से गिरे हुए वृक्षों को हटाना ।

(घ) विरलन तथा काट—छांट करना ।

(ङ) फसल के स्वस्थ्य तथा जीवन शक्ति में सुधार करना ।

(छ) मिट्टी तथा नमी का संरक्षण सुनिश्चित करना ।

" ख " प्रकार के क्षेत्र जहां पर अल्प संकुचित एवं बिगड़े वन क्षेत्र है वहां पर राजस्व विभाग से सीमांकन कराकर प्रबंधन हेतु प्राप्त किया जायेगा । बिगड़े वनों के सुधार कार्य के अनुसार वृक्षों की कटाई—सफाई का कार्य संपन्न किया जायेगा । प्राप्त वनोपज पर समहित समूह/ स्व—रोजगारियों का अधिकार होगा । खाली स्थानों में औषधीय पौधों का रोपण,बांस रोपण, फलदार वृक्षों में आंवले का रोपण तथा आवश्यकतानुसार घास का रोपण किया जायेगा । इसके लिये प्रोजेक्ट तैयार कर जिला स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा ।

समहित समूह / स्व—रोजगारी को आवंटित खुले / बिगड़े वन क्षेत्रों में रोपण / बिगड़े वनों का सुधार /चारागाह विकास कार्य किये जाने पर उक्त रोपित क्षेत्र के मुख्य पातन से प्राप्त होने वाली वनोपज का शत—प्रतिशत मूल्य अनुज्ञप्तिक विदोहन व्यय एवं निर्धारित पर्यवेक्षण शुल्क घटाकर, प्रदान किया जावेगा । राष्ट्रीय कृत वनोपज के काष्ठ का निर्वतन वन विभाग को किया जाएगा, जिसके लिए वन विभाग भूमि स्वामी क्षेत्रों में ली जाने वाली वनोपज के लिए निर्धारित दर पर भुगतान करेगा । अराष्ट्रीयकृत वनोपज स्वरोजगारी/ समूह स्थानीय बाजार में विक्रय स्वतः कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण :—

इस परिपत्र के परियोजन के लिए " वनोपज " से तात्पर्य भारतीय वन अधिनियम १९२७ में यथा परिभाषित वनोपज से है ।

" ग " प्रकार के क्षेत्रों में जहां पर मृदा अच्छी है एवं पास में पानी उपलब्ध है । वहां पर स्व—सहायता समूह के माध्यम से उच्च तकनीकी वृक्षारोपण का कार्य सम्पन्न किया जायेगा । राजस्व विभाग से सीमाकंन का कार्य कराकर प्रबंध हेतु क्षेत्र प्राप्त किया जावेगा ।

बहुस्तरीय तकनीकी रोपण में वृक्षों तथा बांस के रोपण के अलावा अन्य प्रजातियों के रोपण से प्राप्त लाभ का शत—प्रतिशत, समहित समूह तथा स्व—रोजगारी द्वारा प्राप्त किया जावेगा । वृक्षों एवं बांस के विरलन एवं सफाई से प्राप्त वनोपज भी समहित समूह / स्व—रोजगारी द्वारा शत प्रतिशत प्राप्त की जायेगी । वृक्षों के पूर्ण पातन तथा बांस के ४ वर्षों के पातन से प्राप्त वनोपज का लाभ वितरण निम्नानुसार होगा :—

१. ८० प्रतिशत समहित समूह अथवा स्वरोजगारी ।

२. २० प्रतिशत ग्राम सभा के कोष में ।

" घ " प्रकार के क्षेत्र जो निर्वन एवं वृक्ष विहीन है, उनमें राजस्व विभाग के सीमांकन का कार्य कराकर प्रबंध हेतु प्राप्त किया जावेगा तथा आवश्यकतानुसार घास एवं चारा विकास की कार्यवाही संपन्न की जावेगी ।

१. ८० प्रतिशत समहित समूह अथवा स्वरोजगारी ।

२. २० प्रतिशत ग्राम सभा के खाते में ।

सूक्ष्म प्रबंध योजना का निर्माण एवं स्वीकृति :—

" क " प्रकार के क्षेत्रों के लिए जहां पर घनत्व ०.४ से अधिक एवं जगह अच्छे है वहां पर प्रबंध योजना तैयार की जाएगी । प्रबंध योजना ग्राम सभा के अनुरोध पर चार्टर्ड फारेस्टर द्वारा तैयार कराई जाएगी । इसमें सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय भूमिका का ध्यान रखा जाएगा । प्रबंध योजना में निम्नलिखित विषय विनिर्दिष्ट किये जायेंगे ।

प्रबंध योजना की मंजूरी के लिये जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी जिसमें वनमण्डलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं सचिव के रूप में डी.पी.

आई पी. के जिला स्तरीय अधिकारी रहेंगे । जिन जिलों में डी.पी.आई.पी. योजना नहीं है वहां सचिव के रूप मुख्यालय में पदस्थ उपजिलाध्यक्ष रहेंगे ।

इन अधिकारियों द्वारा भू–राजस्व संहिता /वन संरक्षण अधिनियम/वन प्रबंध के सिद्धान्त तथा कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध धन राशि का आंकलन किया जावेगा ।

यदि इस प्रकार की कार्य योजना के अंतर्गत १० हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र आता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति के आदेशानुसार जिला अध्यक्ष द्वारा प्रबंध योजना के प्राप्त होने के पश्चात वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से उनका अभिमत लेते हुए अनुमोदन हेतु राज्य शासन, वन विभाग के माध्यम से पर्यावरण एव वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया जावेगा ।

प्रबंध योजना की एक प्रति संबंधित तहसीलदार को भू–अभिलेख खसरा में प्रविष्ट के प्रयोजन के लिए पृष्ठांकित की जावेगी ।

स्व–सहायता समूह /समहित समूह/स्वरोजगारियों का चयन एवं अनुमोदन :–

छोटे–बड़े झाड के जंगल के क्षेत्रों में भूमिहीन अनुसूचित जाति /जनजाति के परिवारों को प्राप्त वनोपज का लाभ दिया जाना है ।

इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ योजना के अंतर्गत साधनहीन लोगों के समहित समूह बनाकर वनीकरण का कार्य इन क्षेत्रों में सम्पन्न कराया जाये ।

१. यदि कोई ग्राम पंचायत या ग्राम सभा/ समुचित समूह जो उसको अधिकारिता अथवा सीमांकन कर उपलब्ध कराये गये क्षेत्र के भीतर किसी वृक्षाच्छादित / अल्पसंकुचित / निर्वन क्षेत्रों का प्रबंधन जिम्मा लेना चाहती है तो संबंधित ग्राम सभा या ग्राम पंचायत अथवा स्वसहायता समूह उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) को भूमि का सीमांकन करने तथा प्रबंधन के लिए हस्तांतरण हेतु आवेदन करेंगी ।

२ छोटे–बड़े झाड़ के जंगल की भूमि समहित समूहों अथवा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले अनुसूचित जाति / जनजाति के जरूरतमंद लोगों को जिन्हें स्वरोजगारी कहा जा सकता है , को चिन्हित कर छोटे–बड़े झाड़ के जंगल की २ हेक्टेयर भूमि प्रति सदस्य के मान से सीमांकित कर वनीकरण हेतु तहसीलदार /नायब तहसीलदार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी , जिस पर स्वरोजगारी का मालिकाना हक नहीं होगा परंतु वनोपज पर संयुक्त वन प्रबंध वर्ष २००२ तथा संशोधित संकल्प के अनुसार स्वरोजगारी का अधिकार होगा ।

३. समहित समूह तथा स्वरोजगारी का चयन एवं उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य की अनुशंसा ग्राम सभा द्वारा की जावेगी ।

४ समहित समूह के प्रत्येक सदस्य को अथवा समूह को २ हेक्टेयर तक का क्षेत्र सीमांकन कर ग्राम सभा के अनुमोदन उपरांत उपलब्ध कराया जावेगा । आवंटित क्षेत्र में सदस्य अथवा स्वरोजगारी दैनिक मजदूरी के रूप में कार्य प्रारम्भ करेगा । मजदूरी के रूप में देय राशि में से ५० रूपये प्रति माह प्रति व्यक्ति ग्राम सभा के खाते में जमा करेगा । यह जमा राशि वनीकरण योजना समाप्त होने पर समहित समूह /स्वरोजगारी वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु उपयोग कर सकेगा ।

<u>वनोपज के विदोहन से प्राप्त लाभांश का वितरण</u> :–

स्व–सहायता समूह /समहित समूह एवं ग्राम सभा के बीच में समझौता पत्रक हस्ताक्षरित किया जावेगा जिसमें मूल रूप से निम्न बिन्दु रहेंगे :–

(क) कार्य का सम्पादन सूक्ष्म प्रबंध योजना के निर्धारणों के अनुरूप होगा ।

(ख) वनोपज की सुरक्षा समहित/स्वरोजगारी द्वारा की जायेगी ।

(ग) वनोपज के विदोहन से प्राप्त लाभांश का वितरण निम्नानुसार होगा :–

१. ८० प्रतिशत समहित समूह को ।

२. २० प्रतिशत ग्राम सभा के खाते में जमा किया जाएगा ।

(घ) स्वरोजगारियों द्वारा वन कार्यों में लापरवाही बरतने तथा समय–समय पर क्षेत्रों को दिये जाने वाले उपचार में कोई गड़बड़ी किये जाने अथवा आवंटित क्षेत्र में अग्नि, अवैध कटाई, अवैध चराई या अन्य विपरीत कारणों के घटित होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) की सलाह पर कार्यवाही करेगा । डी.पी.आई.पी.योजना क्षेत्र के अंतर्गत डी.पी.आई.पी. के प्रभारी अधिकारी की अनुशंसा पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के द्वारा कार्यवाही की जाएगी ।

यदि समहित समूह के किसी सदस्य अथवा स्वरोजगारी द्वारा वनीकरण के कार्यों में असहयोग किया जाता है तथा ग्राम सभा के निर्णयों का पालन नहीं किया जाता या वन अपराध किया जाता है तब ग्राम सभा निर्णय लेकर ऐसे व्यक्ति को ऐसे क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले वनोपज के लाभ से वंचित रखते हुए उसकी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार रखेगी । किन्तु ऐसा करने के पूर्व ऐसे सदस्य या समूह को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावेगा ।

अति महत्वपूर्ण निर्देश :–

१. इस योजना के अंतर्गत जिन छोटे बड़े झाड़ के जंगल की भूमि पर वन विभाग एवं राजस्व विभाग का विवाद हो सम्मलित नहीं की जाये ।

२. क एवं ख प्रकार की छोटे बड़े झाड़ के जंगल की भूमि के प्रबंधन हेतु अनुमोदित प्रबंध योजना आवश्यक होगी ।

३. छोटे बड़े झाड़ के जंगल की भूमि पर प्रबंध योजना प्रारंभ करने के पूर्व खड़े वृक्षों की कटाई नहीं की जावेगी । इन वृक्षों का प्रजाति वार एवं गोलाई वर्ग वार गोश्वारा अभिलेखित किया जायेगा ।

४. स्वरोजगारी को प्रबंध योजना के प्रावधानों के अनुसार रोपित किये गये पौधों एवं उनसे प्राप्त होने वाली वनोपज पर पूर्ण अधिकार रहेगा और प्रबंध योजना के प्रावधानों के अनुसार मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता १९५९ की धारा २४० के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए वन वर्धन की दृष्टि से नये रोपित वृक्षों के काटने /छांटने/बिरलन करने की अनुमति रहेगी ।

५. योजना के अंतर्गत कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन संबंधित जनपद स्तर पर गठित एक समिति द्वारा किया जायेगा । जिसमें संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार तथा उपवन मंडलाधिकारी,वन होंगे । प्रबंध योजना अनुसार कार्य नहीं पाए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

६ घ एवं ग प्रकार के क्षेत्रों की प्रबंधन योजना का अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, ग्राम पंचायत /ग्राम सभा के द्वारा नियुक्त किये गये वार्ड फारेस्टर/वन विभाग के द्वारा नामांकित अधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर चयनित वानकी विशेषज्ञ की समिति के द्वारा की जा सकेगी ।

७. किसी क्षेत्र में प्रबंध योजना के प्रावधानो के अनुपालन में स्वस्थ्य वृक्ष की कटाई आवश्यक हो तो लोक वानिकी अधिनियम के तहत दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । जो जिले लोक वानिकी अधिनियम के तहत नहीं है उन जिलों में मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही की जायेगी ।

८. योजनांतर्गत प्रबंध योजना की तकनीकी स्वीकृति जिला एवं अनुभाग स्तर की समिति द्वारा दी जायेगी तथा प्रशासकीय स्वीकृत संबंधित ग्राम सभा के द्वारा दी जायेगी ।

९. छोटे बड़े झाड़ के जंगल पर वन संरक्षण अधिनियम १९८० के प्रावधान लागू रहेंगे । अतः प्रबंध योजना तैयार करते समय इस आशय का विशेष ध्यान रखा जाए कि उक्त क्षेत्र में कोई गैर वानिकी कार्य न हो तथा चाय, काफी, रबर, पाम तथा रेशम हेतु मलबरी प्रजातियों का वृक्षारोपण न किया जाए ।

१० प्रबंध योजना की १ प्रति संबंधित तहसीलदार को राजस्व अभिलेख / खसरे के कालम नम्बर १२– कैफियत में प्रवष्टि के लिए पृष्ठांकित की जायेगी । संबंधित खसरे की अन्य प्रविष्टियां यथावत रखी जाऐगी ।

११. योजनातर्गत १० हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति के आदेशानुसार जिला अध्यक्ष द्वारा प्रबंध योजना संबंधित वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) को भेजी जाएगी जो अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक लोकवानिकी को अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रेषित करेंगे ।

(सत्यानन्द मिश्र)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग

(मनोज कुमार)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग

(के.टी.चाको)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
ग्रामीण विकास विभाग